

न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शैखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 350/2018

दायर दिनांक 24.10.2018

वादी

प्रतिवादीगण

1. कमलसिंह पुत्र पदमसिंह,
उम्र-30साल,
जाति-राजपूत,
निवासी-खरेश,
तहसील-डीडवाना,
जिला-नागौर, राजस्थान।

1. लालचन्द पुत्र स्वर्गीय
हरदेवराम, उम्र-55साल,
2. गोरधन पुत्र स्वर्गीय
हरदेवराम, उम्र-52साल,
3. अनिल जाँगिड़ पुत्र स्वर्गीय
हरदेवराम, उम्र-50साल,
4. नानुराम पुत्र स्वर्गीय
हरदेवराम, उम्र-48साल,
5. हड़मानराम पुत्र स्वर्गीय
हरदेवराम, उम्र-42साल,
6. छोटीदेवी पत्नी स्वर्गीय
हरदेवराम, उम्र-80साल,
जातिगण-खाती,
7. मोहनसिंह पुत्र हनुमानसिंह,
उम्र-45साल,
8. जोगन्द्रसिंह पुत्र हनुमानसिंह,
उम्र-38साल,
जातिगण-राजपूत,
समस्त, निवासी-खरेश,
तहसील-डीडवाना,
जिला-नागौर, राजस्थान,
9. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक,
शाखा-डीडवाना,
तहसील-डीडवाना,
जिला-नागौर, राजस्थान,
10. तहसीलदार डीडवाना,
जिला-नागौर, राजस्थान।

बनाम्

2-2
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

राजस्व-वाद, संख्या 350/2018
दायर दिनांक 24.10.2018, निर्णय दिनांक 12.02.2019
कमलसिंह वनाम् लालचन्द, वगैरा।

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित:-

1. श्री मो0 शरीफ शेरानी, वकील, वादी।

--: अंतिम निर्णय ::--

दिनांक 12.02.2019

सरहद खरेश के खेत खसरा संख्या 467 रकबा 60.18

बीघा भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 के मध्य बाईमीट्स
एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत, दिनांक 26.12.2018 को
जरिये प्राथमिक डिक्री के, विभाजन प्रस्तावित करने का निर्देश तहसीलदार
डीडवाना को दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांक: 175 दिनांक 24.01.

2019 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा
प्रस्तावित बन्टवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में
तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के

2-2
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नामौर)

राजस्व-वाद, संख्या 350/2018
 दायर दिनांक 24.10.2018, निर्णय दिनांक 12.02.2019
 कमलसिंह बनाम् लालचन्द, वगैरा।


द्वारा प्रस्तावित विभाजन जरिये पत्रांक: 175 दिनांक 24.01.2019 को

स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।


आदेश

दावा डिक्री सादिर कर सरहद खरेश के खेत खसरा संख्या 467 रकबा 60.18 बीघा भूमि का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव पत्रांक: 175 दिनांक 24.01.2019 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव पत्रांक: 175 दिनांक 24.01.2019, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।


 (उत्तमसिंह शेखावत)
 सहायक R.A.S.
 सहायक कलेक्टर
 डीडवाना (तामोर)
 डीडवाना

अंतिम निर्णय आज दिनांक 12.02.2019 को सरे इजलास में सुनाया गया।


 (उत्तमसिंह शेखावत)
 सहायक R.A.S.
 सहायक कलेक्टर
 डीडवाना (तामोर)
 डीडवाना

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलेक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 350/2018

दायर दिनांक 24.10.2018

वादी	प्रतिवादीगण
1. कमलसिंह पुत्र पदमसिंह, उम्र-30साल, जाति-राजपूत, निवासी-खरेश, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. लालचन्द पुत्र स्वर्गीय हरदेवराम, उम्र-55साल, 2. गोरधन पुत्र स्वर्गीय हरदेवराम, उम्र-52साल, 3. अनिल जाँगिड़ पुत्र स्वर्गीय हरदेवराम, उम्र-50साल, 4. नानुराम पुत्र स्वर्गीय हरदेवराम, उम्र-48साल, 5. हड़मानराम पुत्र स्वर्गीय हरदेवराम, उम्र-42साल, 6. छोटीदेवी पत्नी स्वर्गीय हरदेवराम, उम्र-80साल, जातिगण-खाती, 7. मोहनसिंह पुत्र हनुमानसिंह, उम्र-45साल, 8. जोगन्द्रसिंह पुत्र हनुमानसिंह, उम्र-38साल, जातिगण-राजपूत, समस्त, निवासी-खरेश, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 9. आई.सी.आई.सी.आई.बैंक, शाखा-डीडवाना, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 10. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 R.T.Act.

दिनांक 12.02.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व
हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मो० शरीफ शेरानी, वकील, वादी ओर से


सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, दावा डिक्री सादिर कर सरहद खरेश के खेत खसरा संख्या 467 रकबा 60.18 बीघा भूमि का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव पत्रांक: 175 दिनांक 24.01.2019 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।


विभाजन प्रस्ताव पत्रांक: 175 दिनांक 24.01.2019, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....
-.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 12.02.2019 को सरे इजलास में जारी की गयी।


 सहायक कलक्टर
 डीडवाना
 (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील	-		महनताना वकील		
खर्चा गवाहान	-		खर्चा गवाहान		
फिस कमिश्नर			फिस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।


 सहायक कलक्टर
 डीडवाना
 (नागौर)